

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम दौसा
दौसा बनाम रिपब्लिकन
 मुकदमा नं. दौसा सं. 38/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26/7/2021	<p>वकील उमर चक्रवर्ती प्रतिवादी सं। 1 ला० 3 का क्षेत्र से पावर व जवाब रूप प्रतीवादी सं। 4 के शर्तों के तलवाना सम्मन पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 3-9-2021 को चेषा हो।</p>	
8/9/21	<p>आज PO साहब अन्य काम में मोटिंग स्थगित करने से दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेसी दी गई। गत आदेशों को पालना में किनाक 18/10/21 को चेषा हो।</p>	
18/10/21	<p>वकील उमर चक्रवर्ती प्रतिवादी सं. 1 ला० 3 का क्षेत्र से डॉ. महेश कुमार शर्मा द्वारा वकील नाम चेषा किया गया जो शांति पत्रावली किया गया वास्तव में जवाब प्रतीवादी सं. 1 ला० 3 का क्षेत्र से चेषा करने व प्रतीवादी सं. 4 के शर्तों के तलवाना सम्मन चेषा करने हेतु कीर्तिम अवेरस 2 दिनांक जाकर पत्रावली दिनांक 29-11-2021 को चेषा हो।</p>	
29/11/2021	<p>पत्रावली चेषा हुई वाकी व वाकी होशियारता को बार-बार भोजन किया गई धुम्र. बार बार भोजन किया जाने के उपशंत 2 दिनांक वाकी व वाकी होशियारता में से कोई उपस्थित नहीं भोजन। अतः वाकी का वाक भद्रम धुम्र में चेषा करने में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमल शुभा होकर नम्बर से कम होकर दफात दारण हो।</p>	

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

